

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.1(2)गृह-12/कारा/2001

जयपुर, दिनांक 04.04.2014

:: आदेश ::

श्री जे.के. शर्मा, विशेषाधिकारी गृह (जेल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी जन्म तिथि 09.05.1954 है, द्वारा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर इन्हें दिनांक 31.05.2014 को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

श्री जे.के. शर्मा के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच एवं शिकायत वर्तमान में लम्बित नहीं है।


आज्ञा से,

६०/—

(ओ०पी० सारस्वत)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 63930 दिनांक 27.03.2014 के क्रम में।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग को उनकी आज्ञा संख्या पं० 3 (2)/कार्मिक/क-4/08 दिनांक 21.05.2008 के क्रम में।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं वेल्फेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग।
8. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जांच/शिकायत) विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. श्री जे. के. शर्मा, विशेषाधिकारी, गृह (जेल) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ शासन उप सचिव